भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 68

04 दिसम्बर, 2023 को उत्तर के लिए

शहरों में भीड़भाड़ कम करना

68 श्री विवेक के.तन्खाः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बड़े शहरों में यातायात की भीड़ को कम करने और वायु गुणवत्ता में सुधार करने की योजना के संदर्भ में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या सरकार दिल्ली/एनसीआर में भीड़भाड़ कम करने की योजना बना रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी योजनाओं का ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) शहरी क्षेत्रों में प्राकृतिक जल निकायों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) पिछले पांच वर्षों में शहरी क्षेत्रों में कितने मलजल/घरेलू अपशिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित किए गए हैं, तत्संबंधी शहर-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री कौशल किशोर)

(क), (ख) और (ग): संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुसार, शहरी नियोजन राज्य का विषय है। भारत सरकार अपने विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं, परामर्शिका आदि के माध्यम से इस संबंध में राज्य सरकार के प्रयासों को पूरा करने में सहायता प्रदान करती है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन दिशानिर्देश,2014(https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/URDPFI%20Guidelines%2

0Vol%20I(2).pdf) प्रकाशित किया है, जो पैरा 1.7.2 में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) के बारे में बताया गया है। यूआरडीपीएफआई दिशानिर्देश 2014 के पैरा 8.2.15 में टीओडी विकास मानदंड भी उपलब्ध कराए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी क्षेत्रों के लिए ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) नीति (https://mohua.gov.in/cms/policies.php) और परामर्शिका (https://mohua.gov.in/publication.php?sa=manuals-and-advisories.php) जारी की है। ।

टीओडी भूमि उपयोग और परिवहन योजना को एकीकृत करता है और इसका उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन और पारगमन सुविधाओं, वॉकेबल शहरों, उच्च घनत्व, मिश्रित भूमि उपयोग और सुलभ सार्वजनिक स्थलों को बढ़ावा देना है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय राज्यों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना 2023 - भाग III (शहरी नियोजन सुधार) के माध्यम से प्रोत्साहित कर रहा है, जिसमें शहरी नियोजन के माध्यम से शहरी क्षेत्रों के प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने संबंधी सुधार शामिल हैं। इस सुधार के अंतर्गत जलाशयों का संरक्षण और जीर्णोद्धार तथा शहरी वनों का निर्माण शामिल है।

गैर-मोटरीकृत शहरी परिवहन अमृत मिशन के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है जिसमें पैदल यात्री, गैर-मोटरीकृत और सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं, साइकिल ट्रैक, पार्किंग स्थल आदि के प्रावधान शामिल हैं। 77,640 करोड़ रू. के कुल योजना आकार के मुकाबले, 1,436 करोड़ रू. (2%) इस क्षेत्र के तहत आवंटित किया गया है। अब तक, 1,012 करोड़ रू. की 351 परियोजनाएं शुरू की जा चुकी हैं, जिनमें से 804 करोड़ रू. की 307 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं।

वृक्षारोपण के माध्यम से वायु प्रदूषण को कम करने के लिए **पार्क और हरित स्थलों का विकास** अमृत मिशन का एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। 77,640 करोड़ रू. के कुल योजना आकार के मुकाबले, हरित स्थलों और पार्कों के लिए 1,768 करोड़ रू. (2%) आवंटित किए गए हैं। इस क्षेत्र के तहत, 1,604 करोड़ रू. की लागत वाली 2,525 पार्क परियोजनाएं आरंभ की गई हैं, जिनमें से 1,454 करोड़ रू. की लागत वाले 2,381 पार्क विकसित किए गए हैं।

अमृत के तहत, जलाशयों का जीर्णोद्धार जल आपूर्ति परियोजनाओं का एक घटक है और 76 करोड़ रू. की 16 जलाशय जीर्णोद्धार परियोजनाएं आरंभ की गई हैं।

500 शहरों से लगभग 4,902 सांविधिक कस्बों तक जल आपूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए, 1 अक्टूबर 2021 को अमृत 2.0 लॉन्च किया गया है। अमृत 2.0 के तहत अब तक, 476 करोड़ रू. की 1015 पार्क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

अमृत 2.0 के तहत, जलाशयों और कुओं का जीर्णोद्धार मुख्य घटकों में से एक है। इसके अंतर्गत निम्न स्वीकार्य तत्व शामिल हैं:

- डीसिल्टिंग द्वारा आर्द्रभूमियों, जलाशयों का जीर्णोद्धार, तटबंधों का मज़बूतीकरण और स्टोन पैकिंग;
- प्रदूषित नालों को शोधन संयत्रों की ओर मोड़ना,
- वर्षा जल नालों के माध्यम से वर्षा जल को जलस्रोत में संग्रहित करना (जिसमें सीवेज/रिसाव नहीं हो रहा हो),
- एक्विफर्स/सामुदायिक कुओं का सुदृढ़ीकरण/पुनरुद्धार,
- जलाशयों के आसपास वर्षा जल नालियों का निर्माण/मजबूतीकरण,
- जलाशय में अंतर्वाह के शोधन के लिए एसटीपी का प्रावधान; और
- स्वच्छ जलाशय से जुड़े सामुदायिक हरित स्थलों का विकास

मिशन दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसी परियोजनाओं के लिए अमृत 2.0 के तहत अनंतिम केंद्रीय आवंटन 3,900 करोड़ रू. है। अब तक, राज्य जल कार्य योजना (एसडब्ल्यूएपी) के तहत 3,802 करोड़ रू. (प्रचालन एवं अनुरक्षण लागत सहित) की 2,135 जलाशय जीर्णोद्धार परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

(घ): अमृत के तहत शहरी क्षेत्रों में 3685 एमएलडी क्षमता के 196 एसटीपी स्थापित किये गये हैं। शहरवार विवरण अनुलग्नक 1 के रूप में संलग्न है।

"शहरी क्षेत्र में भीड़भाड़ कम करने/सुधार" के संबंध में 04 दिसंबर, 2023 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 68 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

अमृत के तहत शहर-वार स्थापित एसटीपी

#	शहर का नाम	एसटीपी की सं.	विकसित एसटीपी क्षमता (एमएलडी में)
1	अहमदाबाद	3	185.00
2	अजमेर	2	60.00
3	अकोला	2	37.00
4	अंबाला	2	6.24
5	अमरेली	1	18.20
6	आनंद	3	53.00
7	अनंतपुर	1	10.00
8	अनंतनाग	1	4.00
9	अयोध्या	1	6.00
10	बरेली	1	35.00
11	बरनाला	1	20.00
12	बार्शी	1	18.50
13	ब्यावर	4	11.50
14	बेल्लारी	1	12.00
15	भद्रावती	2	16.40
16	भरतपुर	1	5.00
17	भरूच	1	29.30
18	भावनगर	1	19.20
19	भिंड	1	12.00
20	भिवाड़ी	4	9.50
21	भोपाल	10	118.00
22	भुवनेश्वर नगर	1	0.12
23	भुज	1	23.70
24	बीदर	1	17.26
25	बीकानेर	1	52.00
26	बोटाड	1	32.00
27	बुलन्दशहर	1	40.00
28	बुरहानपुर	1	21.00
29	चेन्नई	2	90.00
30	चितौड़गढ़	3	4.00
31	चुरू	2	3.50
32	दमन	1	4.21
33	डीसा	1	18.40
34	द्वारका	1	7.40
35	एटा	1	24.00
36	गदग-बेटिगेरी	1	13.88

#	शहर का नाम	एसटीपी की सं.	विकसित एसटीपी क्षमता (एमएलडी में)
37	गंगापुर सिटी	3	9.50
38	गोधरा	1	27.60
39	गुलबर्गा	2	20.00
40	गुडगाँव	6	7.00
41	ग्वालियर	4	222.00
42	हलद्वानी-सह-काठगोदाम	1	28.00
43	हनुमानगढ़	1	5.00
44	हापुड़	1	30.00
45	हिण्डौन	2	5.75
46	हिंगणघाट	2	13.50
47	हिसार	3	8.00
48	हुबली, धारवाड़	5	17.25
49	इंदौर	5	67.00
50	जगदलपुर	1	25.00
51	जयपुर	1	8.00
52	जालंधर	2	52.25
53	जलगांव	1	48.00
54	जम्मू	1	4.00
55	जेतपुरनवागढ़	1	23.50
56	जूनागढ़	1	8.20
57	करनाल	1	50.00
58	काशीपुर	1	18.10
59	कवाली	1	15.00
60	खन्ना	1	29.00
61	खरगोन	1	17.60
62	किशनगढ़	1	10.00
63	कोल्हापुर	1	10.00
64	मिर्ज़ापुर-सह-विंध्याचल	1	7.00
65	मोदीनगर	1	20.00
66	मुरैना	1	25.00
67	मोरवी	2	38.10
68	मुरवारा (कटनी)	3	0.00
69	मैसूर	1	15.00
70	नैनीताल	1	0.45
71	नासिक	2	50.00
72	नीमच	2	16.50
73	ओंगोल	1	15.00
74	पलवल	2	21.50
75	पंचकुला	2	6.24
76	पटियाला	1	15.00
77	पोरबंदर	2	31.90

#	शहर का नाम	एसटीपी की सं.	विकसित एसटीपी क्षमता (एमएलडी में)
78	रायबरेली	1	18.00
79	रायचुर	1	5.50
80	रायगढ़	2	32.00
81	रायपुर	3	200.00
82	राजपालयम	1	21.85
83	राजकोट	1	115.50
84	राजनंदगांव	1	6.20
85	रतलाम	1	37.50
86	रीवा	7	0.00
87	रॉबर्टसन पेट	1	5.00
88	रोहतक	2	5.90
89	सीहोर	1	12.00
90	शिमला	3	31.10
91	शिमोगा	1	10.26
92	सिद्दीपेट	2	18.25
93	सीकर	2	10.00
94	सिंगरौली	3	0.00
95	सुजानगढ़	2	7.50
96	सूरत	8	622.00
97	सुरेंद्रनगर दूधरेज	1	32.30
98	थाइन	2	66.00
99	तिरुवनंतपुरम	1	5.00
100	उल्हासनगर	4	60.00
101	वडोदरा	3	188.00
102	वलसाड	2	31.20
103	वापी	1	14.00
104	वेलनकन्नी	1	2.33
105	विदिशा	1	22.25
106	यवतमाल	1	27.50
	कुल	**196**	**3685.39**